गैस एजेंसी के आबंटन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्राथमिकता

2893. श्री रामदेव भण्डारी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैस वितरण एजेंसी खोलने के लिए क्षेत्रों के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) जिला मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर गैस वितरण एजेंसी खोलने के क्या मापदंड हैं;

(ग) गैस एजेंसी आबंटित करने के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है;

(घ) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को गैस एजेंसी के आबंटन में प्राथमिकता दी जाती है;

(ङ) गैस एजेंसी के आबंटन में किन लोगों को प्राथमिकता दी जाती है; और

(च) बिहार के मधुबनी क्षेत्र में नयी गैस एजेंसी खोलने का प्रस्ताव किस स्थिति में है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) से (ङ) वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार 20,000 और इससे अधिक जनसंख्या वाले स्थानों पर एल॰पी॰जी॰ डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना करने के लिए उत्पाद उपलब्धता और आर्थिक व्यवहार्यता को देखते हुए चरणबद्ध रीति से विचार किया जाता है। तेल चयन बोर्डों की सिफारिशों के आधार पर तेल विपणन कम्पनियों द्वारा एल॰पी॰ जी॰ डिस्ट्रीब्यूटरशिपें दी जाती है। तेल चयन बोर्ड निम्नलिखित ढंग से विभिन्न वर्गों के लिए विज्ञापनों के प्रत्युत्तर में आवेदन करने वाले और पात्रता मानदण्ड पूर्ण करने वाले लोगों का साक्षात्कार के माध्यम से चयन करता है:—

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	25 प्रतिशत
शारीरिक रूप से विकलांग	7½ प्रतिशत
रक्षा	7½ प्रतिशत
स्वतंत्रता सेनानी	5 प्रतिशत
सामान्य	55 प्रतिशत

सरकार द्वारा सुपात्र मामलों में अनुकम्पा आधार पर भी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के कुछ आबंटन किए जाते हैं।

(च) मधुबनी क्षेत्र में एक नई गैस एजेंसी खोलने के लिए वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

Contract Labour in LPG Bottling Plants

2894. SHRI E. BALANANDAN: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is permissible under the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and Vasudevan Committee to engage contract labour for the Items of Works specified in the Standard items for Haulage Cylinders handling routine maintenance works at LPG Bottling Plant, Suchi Pind, Jalandhar, Punjab.

(b) whether it is a fact that in other plants Indian Oil Corporation is engaging its own employees for these items of works;

(c) whether it is also a fact that work of loading and unloading of LPG cylinders from the truck in the plants are done by illegal and unregistered contractors;

(d) whether it is also a fact that on 23rd July, 1992 a worker died in fatal accident while loading and unloading of LPG cylinder from the truck in bottling plant, Suchi Pind, Jalandhar, which was being done by illegal and unregistered contractor;

(e) whether any inquiry has been conducted in this regard, if so, the details thereof; and

(f) what are the details of steps taken as recommended by Vasudevan Committee?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPTAIN SATISH SHARMA): (a) and (b) At Jalandhar Bottling Plant loading and un-loading of LPG cylinders in-to and from the trucks is done by transport contractors through their own arranged labour. At Delhi Bottling Plant cylinder handling work in the shed is carried out by the Casual Labour engaged by the IOC in line with the notification by Delhi Administration; and at Kalyani Bottling Plant (West